न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 06/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/6

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए. धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर	बनाम	1. श्री कमला शंकर पिता श्री मगनलाल, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा, (राज.) At also – श्रीमती राखी सुथार पत्नी श्री कमला शंकर, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा, (राज.) 327022 (ऋणी/बंधक कर्ता) 2. श्रीमती राखी सुथार पत्नी श्री कमला शंकर, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा, (राज.) 327022(सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 23–02–2023

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री कमला शंकर पिता श्री मगनलाल, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा At also – श्रीमती राखी सुथार पत्नी श्री कमला शंकर, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा (ऋणी/बंधक कर्ता) 2– श्रीमती राखी सुथार पत्नी श्री कमला शंकर, पता–मयूर कॉलोनी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस– बोरी, बांसवाडा, (राज.) (सहऋणी) को दिनांक 17–05–201[illegible] [illegible]00,000 (दस लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित [illegible] उक्त ऋण [illegible] भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 01–09–2022 [illegible] क्रियान्वित आस्ति में [illegible] कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते दिनांक 06–09–2022 को कुल बकाया राशि 1281825 रू. (बारह लाख इक्यासी हजार आठ सौ पच्चीस रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested

के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्रीमती राखी सुथार पत्नी श्री कमला शंकर के नाम जिसका पता मयूर कोलोनी, गॉव एवं पोस्ट ऑफिस बोरी, बॉसवाडा (राज.) जिसका कुल माप 969 वर्गफीट** है। जिसमें आवासीय प्लॉट भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में संगीता देवी विनोद सुथार का मकान, पश्चिम में दक्षा देवी मुकेश सुथार का मकान, उत्तर में नाथुराम आदिवासी की जमीन एवं दक्षिण में स्वयं का आंगन एवं आम रास्ता** स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **07–09–2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो मे दिनांक 07.10.2022 को प्रकाशित किया गया। जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि भी जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **17.05.2019 को रु. 10,00,000** रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 11–01–2023 को जारी किया। अप्रार्थीगणो के नोटिस दिनांक 09–02–2023 को बाद तामील प्रस्तुत

हुए किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। दिनांक 23.02.2023 को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 23-02-2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 23-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)